


16/01/24 पत्रावली पेश हुई। वरुणाय अर्पित। पत्रावली
 में तहसीलदार सांचौर दे जात अर्थविक
 डिकी मय देखाडा जत्ता का अक्लोकव
 किया जाय। बहस उमयपत्र पुनी गई।
 किसी भी पक्ष द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं करायी
 गई। अतः उमयपत्रकारण की सहमती के
 आधार पर अंतिम डिकी जारी है। आदेश अथवा
 डिकी जाकर तहसीलदार सांचौर के नाम
 तहरीर जारी है। पत्रावली फैलल शूमार हंकर
 नमकर ले कम है।


 सहायक कलेक्टर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)



न्यायालय: सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 12

दिनांक- 13/01/24

पारसी- तहसीलदार सांचौर।


मुकदमा नम्बर 05 / 2018 धारा 53,188 आर.टी.एक्ट 1955

पारसी	बनाम	प्रतिवादीगण
भारमल		किशनाराम वगेरह

विषय:- निर्णय की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुकदमा नम्बर 05 / 2018 धारा 53,188 आर.टी. एक्ट 1955 वाद भारमल बनाम किशनाराम वगेरह में निर्णय दिनांक...16.01.24 को इस न्यायालय से किया गया है निर्णय की प्रति इस पत्र के संलग्न भिजवाई जा रही है। जिसकी नियमानुसार पालना करना सुश्चित करे।

संलग्न:- निर्णय की प्रति



(हनुमानाराम आर.ए.एस)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)